□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□
स्कूल □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□
□□□ □□□
□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ **: 1230**
□□□□□ □□□□ □□ □□□□□**: 25.07.2022**

बाल भवन

†1230 डॉ. राजश्री मल्लिक:

□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□

(क) नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत संपूर्ण देश के सभी जिलों में बाल भवन स्थापित करने के लिए कोई लक्ष्य तय किया है;

(ग) यदि हां, तो ओडिशा के जगतसिंहपुर और पुरी जिलों सहित तत्संबंधी राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त परियोजना के लिए निर्धारित राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इनके कब तक स्थापित होने की संभावना है?

□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ **राज्य मंत्री**
(□□□□□□□ अन्न□□□□□□ □□□□)

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 देश में स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

I. एनईपी- 2020 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक स्कूल शिक्षा में 100% प्रतिशत जीईआर के साथ प्रीस्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना है।

II. नया पाठ्यक्रम और शिक्षण संरचना (5+3+3+4)।

III. बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर बल, स्कूलों में शैक्षणिक स्ट्रीमों, पाठयेत्तर, व्यावसायिक स्ट्रीम के बीच कोई कठोर पृथकीकरण नहीं; व्यावसायिक शिक्षा इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से शुरू होगी।

IV. नई नीति स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों, दोनों में जहां तक संभव हो, बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है; कम से कम कक्षा 5 तक अधिमानत: कक्षा 8 और उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम घर पर बोली जाने वाली

भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी; राष्ट्रीय पाली, पारसी और प्राकृत संस्थान, भारतीय अनुवाद एवं व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी।

V. 360 डिग्री सम्पूर्ण प्रगति रिपोर्ट के साथ मूल्यांकन सुधार, जिससे अधिगम परिणाम प्राप्त करने के लिए छात्रों की प्रगति ट्रैक की जा सके। मूल्यांकन रूपांतरण हेतु मानक स्थापक निकाय के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख (समग्र विकास के लिए कार्य निष्पादन, ज्ञान की समीक्षा और विश्लेषण) की स्थापना की जाएगी।

VI. आधारभूत मापदंडों (नामत: सुरक्षा, संरक्षा, आधारभूत अवसंरचना, विषयों और कक्षाओं में शिक्षकों की संख्या, वित्तीय ईमानदारी और अभिशासन की स्वस्थ प्रक्रियाओ) पर आधारित न्यूनतम मानदंड, जिनका सभी विद्यालयों द्वारा पालन किया जाएगा, स्थापित करने के लिए राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) की स्थापना।

VII. शिक्षक-शिक्षा का बहुविषयी वातावरण और 4 - वर्षीय बी.एड एकीकृत में अंतरण किया जाएगा ताकि 2030 तक स्कूल शिक्षकों के लिए यह न्यूनतम डिग्री अर्हता बन जाए।

VIII. 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता प्राप्त करना।

IX. उच्च शिक्षा में जीईआर को बढ़ाकर 2035 तक 50% करना।

X. उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों का लचीलापन होगा।

XI. एकाधिक प्रवेश/निर्गमन और क्रेडिट के शैक्षणिक बैंक के माध्यम से क्रेडिट का अंतरण।

XII. मजबूत अनुसंधान संस्कृति के संपोषण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान स्थापि त किया जाएगा।

XIII. उच्चतर शिक्षा का सरल किंतु कठोर विनियमन, विभिन्न कार्यकलापों के लिए चार अलग-अलग कार्यक्षेत्रों के साथ एकल नियामक - भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (एचईसीआई)।

XIV. कॉलेजों को पारदर्शी स्तरित प्रत्यायन प्रणाली के माध्यम से स्तरीय स्वायत्ता प्रदान करने के लिए एक चरणवार तंत्र स्थापित किया जाएगा।

XV. एनईपी-2020 इक्विटी के साथ प्रौद्योगिकी के संवर्धित उपयेाग का समर्थन करती है, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम बनाया जाएगा।

XVI. एनईपी-2020 में लाभवंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए जेंडर समावेशी कोष, विशेष शिक्षा क्षेत्रों की स्थापना पर बल दिया गया है।

(ख) से (ड.): एनईपी 2020, के पैरा 7.11 में सिफारिश की गई है कि प्रत्येक राज्य को मौजूदा बाल भवनों को सुदृढ़ करने अथवा "बाल भवनों" की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जहां सभी उम्र के बच्चे विशेष डे-बोर्डिंग स्कूल के रूप में कला-संबंधी, कैरियर-संबंधी और खेल-संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए सप्ताह में एक बार (जैसे, सप्ताहांत पर) या अधिक बार जा सकते हैं।

यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है और स्कूलों और संबंधित संस्थानों की स्थापना करना राज्य और संघ राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। इसलिए, बाल भवन स्थापित करने पर निर्णय लेना संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

****